



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।
पत्रांक 2099/12-1 दिनांक, मसूरी 31-12-2015।

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय :-

मा० मुख्य मंत्री घोषणा संख्या-233/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र रायपुर के अन्तर्गत सौड़ा द्वारा से चमेली चौक तक मार्ग के नव निर्माण हेतु अपेक्षित 3.01 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग को वन भूमि का प्रत्यावर्तन प्रस्ताव।

सन्दर्भ :-

आपका पत्रांक 1557/12-1(1) दिनांक 14-12-2015।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र (प्रति संलग्न) के कम में अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश (देहरादून) द्वारा अपने पत्र सं० 870 /23सी० देहरादून, दिनांक 21-12-2015 (प्रति संलग्न) से अवगत कराया गया है कि उक्त विषयक वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव की एक मूल प्रति नोडल कार्यालय को अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने का कृपा करें।

संलग्नक:- उक्तानुसार।

भवदीय

(डा० धीरज पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।
प्रशासनिक अधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

पत्रांक 2099 /दिनांकित।

प्रतिलिपि - अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश, को उनके पत्रांक 877 / 23सी, दिनांक 23-12-2015 के कम में।

(डा० धीरज पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।
प्रशासनिक अधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता अस्थायी खण्ड
लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश (देहरादून)

पत्रांक- 877 /23सी0 दे०२५
सेवा में,

दिनांक- 23/12/2015

प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग,
मसूरी।

विषय:- मा0 मुख्य मंत्री घोषणा सं0 233/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र रायपुर के अन्तर्गत सौड़ा द्वारा से चमेली चौक तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.01 है0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक-2016/12-1 मसूरी, दिनांक 17.12.2015.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है, कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय एफ0आर0आई0, देहरादून द्वारा उक्त मार्ग निर्माण हेतु मूल प्रस्ताव की एक स्कैन प्रति उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्रांक- 870/23सी0, देहरादून, दिनांक-22.12.2015 के द्वारा मूल प्रस्ताव की एक स्कैन प्रति सलग्न कर भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय एफ0आर0आई0, देहरादून को प्रेषित की जा चुकी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि तत्संबंधी ई0डी0एस0 सूचना शीघ्रातिशीघ्र ऑनलाईन अपलोड करते हुए अग्रसारित करने की कृपा करें।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
ऋषिकेश

पत्रांक- /23सी0
प्रतिलिपि:-

दिनांक-

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण कार्यालय फारेस्ट कॉलोनी, इन्दिरा नगर देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सहायक अभियन्ता/खण्डीय अमीन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
ऋषिकेश

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता अस्थायी खण्ड
लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश (देहरादून)

पत्रांक-
सेवा में,

/23सी0

दिनांक-21/12/2015

अपर प्रमुख वन संरक्षक(केन्द्रीय),
भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, एफ0आर0आई0, देहरादून।

विषय:- मा0 मुख्य मंत्री घोषणा सं0 233/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र रायपुर के अन्तर्गत सौडा द्वारा से चमेली चौक तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.01 हे0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

सन्दर्भ:- प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी का पत्रांक-2016/12-1 मसूरी, दिनांक 17.12.2015.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है, कि उक्त मार्ग निर्माण हेतु मूल प्रस्ताव की एक स्कैन प्रति सलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

सलग्न:- मूल प्रस्ताव की प्रति।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थायी खण्ड लो0नि0वि0
ऋषिकेश

पत्रांक- 870 /23सी0 देहरादून

दिनांक-

प्रतिलिपि:-

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण कार्यालय फारेस्ट कॉलोनी, इन्दिरा नगर देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सहायक अभियन्ता/खण्डीय अमीन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थायी खण्ड लो0नि0वि0
ऋषिकेश